न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या– 38/2019

1– बस्तीराम पुत्र दुर्गाराम ।
2– ओमाराम पुत्र दुर्गाराम।
3– हरिराम पुत्र दुर्गाराम।
4– छगनाराम पुत्र दुर्गाराम जातियान जाट निवासी तरनाऊ तहसील जायल जिला नागौर।

.....वादीगण

बनाम

1– देवप्रकाश पुत्र रिद्धकरण
2– रामेश्वर पुत्र रिद्धकरण जातियान जाट निवासी तरनाऊ तहसील जायल जिला नागौर।
3– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

..... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण:–

1– श्री इन्द्रसिंह राठौड़ वादीगण की और से।
2– श्री रामप्रकाश बैंदा प्रतिवादी सं. 01 से 02 की और से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 31.07.2019

वादी वादीगण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादीगण के बडेर की पुश्तैनी भूमि मौजा तरनाऊ के खेत खसरा नम्बर 820 रकबा 05 बीघा, खेत खसरा नं. 1830/820 रकबा 18 बीघा एवं खेत खसरा नम्बर 20 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा रहती चली आई है। यह है कि वादीगण और प्रतिवादीगण को ज्ञात नही होने से उनके कब्जाकाश्त में खेत व खातेदारी के खेत अलग–अलग होने से यह वाद उत्पन्न हुआ है। वादीगण के हकबंट व कब्जाकाश्त में वाके मौजा तरनाऊ के खेत खसरा नम्बर 820 रकबा 05 बीघा एवं खेत खसरा नम्बर 1830/820 रकबा 18 बीघा कुल 23 बीघा है जबकि यह खेताय प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज है। तथा प्रतिवादीगण के हकबंट व कब्जाकाश्त में वाके मौजा तरनाऊ के खेत खसरा नम्बर 20 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा है जबकि यह खेत वादीगण के खातेदारी में दर्ज है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति उनके अधिवक्ता की उपस्थिति मे वाद को वाद के अनुसार डिक्री किया जाता है।

1. वादीगण संख्या 01 से 04 के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा तरनाऊ के खेत खसरा नं. 820 रकबा 05 बीघा, खेत खसरा नं. 1830/820 रकबा 18 बीघा कुल रकबा 23 बीघा घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादीगण सं. 01 के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा तरनाऊ के खेत खसरा नं. 20 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा में से 05 बीघा पूर्वी भाग एवं प्रतिवादी सं. 02 के खातेदारी में खेत खसरा नम्बर 20 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा में से 13 बीघा 12 बिस्वा पश्चिमी भाग घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि अधिकतम रकबे पर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लेकर नामान्तरण की कार्यवाही करें।

सहायक कलक्टर
(उप. जे. डी.)

Scanned by CamScanner

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 01 के अनुसार डिक्री सादिर फरामाई जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 से 02 की और से वकील श्री रामप्रकाश बैंदा ने वकालतनामा मय ईकबाली जवाब पेश किया। प्रतिवादी सं. 03 नोटिस तामिल होने के बाद भी अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण सं. 01 से 02 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैंदा ने इनकी पहचान देकर इन की और से ईकबाली जवाब पेश किया।

वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01 से 02 के बीच सहमति होने के कारण वाद में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये गये। प्रकरण में विद्ववान अधिवक्ताओं वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्ववान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सभी पक्षकारों में सहमति होने के कारण वाद के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :—

1. वादीगण संख्या 01 से 04 के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा तरनाऊ के खेत खसरा नं. 820 रकबा 05 बीघा, खेत खसरा नं. 1830/820 रकबा 18 बीघा कुल रकबा 23 बीघा शामिलाती हिस्सा घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी सं. 01 देवप्रकाश के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा तरनाऊ के खेत खसरा नं. 20 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा में से 05 बीघा पूर्वी भाग एवं प्रतिवादी सं. 02 रामेश्वर के खातेदारी में खेत खसरा नम्बर 20 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा में से 13 बीघा 12 बिस्वा पश्चिमी भाग घोषित किया जाता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। **तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि अधिकतम रकबे पर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लेकर नामान्तरण की कार्यवाही करें।** इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी जायल

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी जायल
सहायक कलक्टर
(उप. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned by CamScanner